मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 269/22/वि–7/ग्रारो.गा/2007 भोपाल, दिनांक 12/2/2007

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी

जनपद पंचायत .....

जिला गुना, रीवा, पन्ना, राजगढ़, दमोह एवं कटनी

विषयः– NREGA के अन्तर्गत MIS हेतु आउटसोर्स एजेंसी नियुदत्त करने बाबत्।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके जिलें को वित्तीय वर्ष 2007–08 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने की संभावना है। मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत योजना की सतत् मॉनिटरिंग हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित एनआरईजीए सॉफ्टवेयर पर जनपद स्तर पर डाटा कलेक्शन/डाटा एंट्री का कार्य कराया जाना है।

अतः एमआईएस के कार्य की पूर्व तैयारी के अंतर्गत जनपद स्तर पर आउटसोर्स एजेंसियों के निर्धारण की कार्यवाही के तहत निविदा से अनुबंध का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया निविदा की प्रेस विज्ञप्ति शीघ्र जारी कर एजेंसियों से प्रस्ताव दिनांक 20 मार्च 2007 तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिए जावें तथा जिला अधिसूचित होने की स्थिति में ही आउटसोर्स एजेंसी की नियुक्ति की जावें।

6.2.07

(ए. के. सिंह)

संयुक्त आयुक्त

मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारन्टी परिषद्
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल

क्रं 875/R.NO. 79 22/वि–7/ग्रारो/2006 भोपाल दिनांक 27/4/07

प्रति.

कलेक्टर/जिला कार्यकम समन्वयक एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक,
जिला/जिला पंचायत–झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल, बड़वानी,
खरगौन, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट, छतरपुर, बैतूल, खंडवा,
श्योपुर, धार, सिवनी, सतना, डिंडोरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, दमोह,
पन्ना, रीवा, अनुपपुर, कटनी, राजगढ़, हरदा, बुरहानपुर, देवास, छिंदवाड़ा ।

विषय:–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना मध्यप्रदेश के प्रभावी कियान्वयन तथा वित्तीय प्रबंधन हेतु समन्वयक अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना म. प्र. में 2 फरवरी 2006 से क्रियान्वित है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क व्यक्ति को, जो अकुशल मानव श्रम करने को तैयार है, एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित करना तथा ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करना है। वर्तमान में प्रदेश के 31 जिलों में यह योजना लागू हैं। योजनान्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे एक ग्राम पंचायत को औसतन दस लाख रूपये का आबंटन प्राप्त होता है। योजना के प्रचार प्रसार, परिवारों का पंजीयन, जाब कार्ड बनवाना तथा वितरित करना, ग्राम वार सेल्फ आफ प्रोजेक्ट तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदित कराना, कार्यो की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना, प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना, निर्माण कार्यो का प्रारम्भ कराना, रोजगार के इच्छुक परिवारों को कार्य पर नियोजित कराना, नियमित मजुदरी का भुगतान करना तथा मस्टर रोल का संधारण, अभिलेखो का संधारण, निर्माण कार्यो का मूल्यांकन तथा उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना, ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा की बैठको का आयोजन सुनिश्चित कराना आदि दायित्वो का निर्वहन ग्राम पंचायतो का सौंपा गया है। ग्राम पंचायत के पास पर्याप्त अमला न होने के कारण योजना के प्रभावी कियान्वयन में कठिनाई आ रही हैं।

अतः शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया हैं कि औसतन 4 से 5 ग्राम पंचायतो पर एक सहयोगी समन्वयक अधिकारी के रूप में सहा. वि. वि. अधि. तथा ग्राम सहायक को नियुक्त किया जाये। ये अधिकारी अपने वर्तमान दायित्व के साथ–साथ अपने प्रभार की ग्राम पंचायतो में राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित करेगे इनकी नियुक्ति आदेश जनपद पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी (कार्यकम अधिकारी)के प्रस्ताव पर मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पदेन अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के द्वारा जारी किया जावेगा।

उक्त अधिकारियों के द्वारा निम्नानुसार दायित्व एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा।

सामान्य दायित्व एवं कर्त्तव्य

1. आवंटित ग्राम पंचायतो में चल रहे निर्माण कार्यो का 15 दिवस में कम से कम ... बार भ्रमण सुनिश्चित करना तथा तदनुसार अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम तथा ...िक भ्रमण डायरी मुख्यकार्यपालन अधिकारी (कार्यकम अधिकारी जनपद पंचायत को प्रस्तुत करना।

2. ग्रामवार सेल्फ आफ प्रोजेक्ट तैयार करने तथा ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा से अनुमोदित कराकर जनपद पंचायत को भिजवाने में ग्राम पंचायत का सहयोग करना।

3. परिवारो के पंजीयन तथा जॉब कार्ड तैयार करवाने तथा वितरित कराने में ग्राम पंचायत का सहयोग करना, विशेषतः यह सुनिश्चित करना कि अनुबंधकर्ता द्वारा ... कार्य निर्धारित समय में पूरी गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। या नही ... जॉब कार्ड के संबंध में ग्रामीणो द्वारा कोई शिकायत करने पर त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना।

4. कार्य योजना अनुसार कार्यो के प्राक्कलन तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने में ग्राम पंचायत को सहयोग प्रदान करना, कार्य प्रारंभ कराना तथा यदि किसी ... में कोई कार्य नही चल रहा हो और परिवार रोजगार की मांग कर रहे हो तो कार्यकम अधिकारी तत्काल सूचित कराना।

5. यह सुनिश्चित करना कि कार्यो का मूल्यांकन समय पर हो रहा है कि नही तथा मजदूरो को अधिकतम 15 दिवस के अंतराल पर नियमित निर्धारित मजदूरी का भुगतान हो रहा है या नहीं ?

6. कार्यस्थल पर नियोजित श्रमिको को तथा मस्टर रोल अनुसार उपस्थिति का ... समय पर सत्यापन करना तथा सप्ताह में कम से कम एक ग्राम पंचायत में भुगतान दिवस के दिन उपस्थित होकर समक्ष में मजदुरी का भुगतान कराना।

7. जॉब कार्ड मजदूरो के पास उपलब्ध है या नहीं, इसका सत्यापन करना।

8. जिन परिवारो को 100 दिवस का रोजगार दिया जा चुका है। इनकी प्रविष्टी जॉब कार्ड तथा जॉब पंजी में सुनिश्चित कराना तथा जिन परिवारो को नियोजित नहीं किया जा सका है। उन्हे तत्काल कार्य पर लगाना ताकि बेरोजगारी भत्ता देने जैसी स्थिति निर्मित न हो।

9. कार्यस्थल पर मूलभुत सुविधाए जैसे झुला घर, फरस्ट एट बाक्स छाया पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराना,

10. अन्य रोजगार तथा स्वरोजगार योजनाओं से समन्वय स्थापित करना तथा ...रा योजना तथा नंदन फलोद्यान योजना के प्रात्र हितग्राहियों के चयन में सहयोग प्रदान करना।

11. लेबर बजट बनाने में ग्राम पंचायत तथा अन्य निर्माण एजेंसी के मध्य समन्वय स्थापित करना ताकि अधिकाधिक ग्रामीणो को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

12. लाईन विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यो पर नियोजित परिवारो के जॉब कार्ड की प्रविष्टि ग्राम पंचायत के अभिलेख में कराना।

वित्तीय प्रबंधन सम्बंधित दायित्व एवं कर्त्तव्य

1. ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम मे विहित अभिलेखो जैसें कैशबुक, वाउचर, डेबिट लेजर, केडिट लेजर, चेक रजिस्ट्रर, बैंक रिकंसीलेशन पंजी आय–व्यय पत्रक, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति पंजी, का समुचित संधारण सुनिश्चित कराना।
2. कैशबुक का नियमित लिखा जाना सुनिश्चित करना तथा इस कार्य में ग्राम पंचायत का सहयोग करना।
3. यह सुनिश्चित करना कि चैक तथा पासबुक प्राधिकृत व्यक्ति की अभिरक्षा है या नही तथा पंचायत को प्राप्त चैक, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक में जमा करने में अनावश्यक विलंब तो नहीं किया जा रहा है
4. यह सुनिश्चित करना कि सामग्री के कय मे ग्राम पचायत द्वारा भंडार कय नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं ।
5. प्रत्येक माह रिकंसेलेशन (Monthly Squaring of Accounts) जिसमे बैक खाते में जमा राशि ग्राम पंचायत के पास अग्रिम तथा वास्तविक व्यय के बाउचर का व्यवस्थित का संधारण सुनिश्चित कराना।
6. ग्राम पंचायत द्वारा 60 प्रतिशत राशि का व्यय कर लिये जाने पर समस्त अपेक्षित अभिलेखो सहित अतिरिक्त किस्त का प्रस्ताव भिजवाना।
7. लेखो का महालेखाकार ग्वालियर स्थानीय निधि समपरीक्षक तथा पंचायत विभाग के आडिटर्स द्वारा किये जाने आडिट कार्य में सहयोग करना तथा पालन प्रतिवेदन समय सीमा में भिजवानां ।
8. ग्राम सभा की बैठको में उपस्थित रह कर सामाजिक अंकेक्षण हेतु अपेक्षित अभिलेखो तथा पंजीयो को प्रस्तुत कराना, आवश्यक होने पर ग्राम सभा की रिपोर्ट का जिला आंतरिक अंकेक्षण सेल से परीक्षण कराना ।
9. समस्त पाक्षिक मासिक, त्रयमासिक, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में ग्राम पंचायत के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करना तथा यह देखना कि अनुंबंधकर्ता द्वारा एम. आई. एस. का कार्य ठीक ढंग से किया जा रहा है या नहीं ।

कृपया उपरोक्तानुसार अपने जिले में समन्वयक अधिकारियों के नियुक्ति आदेश तत्काल जारी कर अवगत कराये ताकि योजना का प्रभावी कियान्वयन एव अनुश्रवण सुनिश्चित किया जा सकें।

26.4.07

(प्रदीप भार्गव)
सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
तिलहन संघ भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 1335 /NREGS-MP/MIS/2007 भोपाल, दिनांक 4/6/20..

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यालय समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला
जिला– बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, छतरपुर,
धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन,मंडला,
शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़
सतना, डिण्डोरी, सिवनी एवं उमरिया (18 जिले) म.प्र.

विषयः– डाटा वेलिडेशन् बाबत्।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अन्तर्गत चल रहे कार्यो, रोजगार तथा वित्तीय जानकारियों को NREGA Website पर अवलोकन करें। मई के प्रथम सप्ताह में NREGA online डाटा की समीक्षा में यह तथ्य सामने आया है कि जिलों द्वारा अपलोडेड आकड़ो में त्रृटियां है जिससे वास्तविक प्रगति का आनलाईन आंकलन नहीं किया जा सकता है। जिलों द्वारा अपलोड किये जा रहे डाटा की वैद्यता की जांच अत्यन्त आवश्यक है। अतः यह सुनिश्चित करें कि फीड किये गए आंकडे वैध हो। इस हेतु प्रत्येक सप्ताह फीड किये गए एवं अपलोड आंकडो की सत्यता वैधता की पुष्टि मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा स्वयं की जावे। पृष्टि उपरांत रिपोर्ट की हार्डकापी कार्यालय में सुरक्षित रखी जावें।

गत वित्तीय वर्ष 2005–06 एव 2006–07 के NREGA साइट पर आनलाइन डाटा की वैधता की पुष्टि हेतु समीक्षा बैठक आयोजित की जावें। तथा वृत कार्यवाही से मुझे 15 दिवस में अवगत करावें।

(वसीम अख्तर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास

वृ. क्र. 1336 /NREGS-MP/MIS/2007 भोपाल, दिनांक 4/6/2007
प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त समस्त संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास

AKs Letter H 07

5

मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

कमांक 1405 /एम.आइ.एस./2007 भोपाल, दिनांक 11/6/2007

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यकम अधिकारी

जनपद पंचायत .....

जिला .....

विषयः— NREGA के अन्तर्गत MIS हेतु आउटसोर्स एजेंसी नियुक्त करने बाबत्।
संन्दर्भ :— पत्र 371 दि. 06.03.07

—00—

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के माध्यम सें एम.आई.एस हेतु जनपद पंचायत पर आउटसोर्स एजेन्सी के निर्धारण व मानिटरिगं के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके है अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनाकं 30.05.07 को समीक्षा में दिये गये निर्देशो के कम में जनपद में एम.आई.एस. कार्य हेतु कार्यरत आउटसोर्स एजेन्सी की कार्यप्रगति का साप्ताहिक आकलन करें एवं यदि वह अनुपातिक प्रगति देने में सक्षम नही हो तो सन्दर्भित पत्र के निर्देशानुसार 15 दिवस कां नोटिस देकर उसका अनुबंध समाप्त किया जावें तथा नई एजेन्सी निर्धारण हेतु निविदा सह अनुबंध हेतु कार्यवाही की जावें ।

जनपद पंचायतों में जहां एजेन्सी का कार्यकाल समाप्त होने वाला है अथवा हो चुका है वहां पर नये निविदा नोटिस जारी कर एजेन्सी का निर्धारण की तत्काल कार्यवाही की जावें।

जिन जनपद पंचायतों में एजेन्सी का निर्धारण नही हुआ है वहां नियमानुसार एजेन्सी का निर्धारण की तत्काल कार्यवाही की जावें।

(ए. के. सिंह)
संयुक्त आयुक्त
मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

पृ.कमांक 1405-A /एम.आईएस/2007 भोपाल, दिनांक 11/06/2007
प्रतिलिपिः—

1. संभागीय आयुक्त , संभाग .....
2. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला :..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत - - -

(ए. के. सिंह)
संयुक्त आयुक्त
मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विभाग

1, अरेरा हिल्स, तिलहन संघ परिसर, भोपाल

क्रमांक/137/एम.आई.एस./रो.गा.यो./2007, भोपाल, दिनांक 06/06/2007
20.06.07

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला पंचायत जिला उमरिया, बैतूल, झाबुंआ, सतना, बालाघाट , सीधी,
श्यौपुर, (म.प्र.)

विषयः– MIS की प्रगति संतोषजनक न होने विषयक ।
सन्दर्भ :–पत्र कमांक 212/22/वि–7/ग्ररोगा/2007 भोपाल, दिनांक 31.01.2007
पत्र क इएम 1209 दि. 21.02.07, पत्र क. 371 दिनांक 6.03.07 ,पत्र क. 1335 दिनांक 4.06.07

---00---

जनपद पंचायत में एम.आई.एस. कार्य हेतु कार्यरत आउटसोर्स एजेन्सी की कार्यप्रगति का साप्ताहिक आंकलन करने एवं यदि आउटसोर्स एजेन्सी अनुपातिक प्रगति देने में सक्षम नही हो तो 15 दिवस का नोटिस देकर उसका अनुबंध समाप्त करने तथा नई आउटसोर्स एजेन्सी हेतु निविदा सह अनुबंध हेतु कार्यवाही करने के निर्देश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं।

संन्दर्भित निर्देशों के बावजूद जिला/जनपद पंचायतों द्वारा जनपदवार कार्यप्रगति की गंभीरता से समीक्षा नही की जा रही है। एम.आई.एस. को भारत सरकार व म.प्र. शासन द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव महो. द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाती है। Website : www.nrega.nic.in से जनपदो की अद्यतन कार्य प्रगति का अवलोकन करे। आपके जिले के जनपदों में एम.आई.एस. कार्य कार्य प्रगति लक्ष्य से 50 प्रतिशत भी नही है।

बार–बार निर्देशों के बाद भी एम.आईएस. कार्य को गंभीरता से नही लिया गया। यद्यपि बालाघाट एवं सीधी में गत माह से काफी तेजी से कार्य किये गये है। एवं लक्ष्य के विरुद्ध बाधाघाट में 42 प्रतिशत , सीधी में 41 प्रतिशत जबकि श्योपुर में 2 प्रतिशत , सतना में 13 प्रतिशत ,बैतूल में 22 प्रति., खण्डवा में 38 प्रति. उमारिया में 39 प्रतिशत व झाबुआ में 30 प्रतिशत केवल मस्टर रोल की जानकारी अपलोड हुई जबकि कार्य से संबंधित अन्य जानकारी जैसे मटेरियल खरीदी आदि की फीडिंग की जाना शेष है

कृप्या एम.आईएस. में विगत 6 माह में आपके जिले/जनपदों द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराये तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 का बेकलाग डाटा फिडिंग एवं अपलोडिंग

07

का कार्य पूर्ण करने के लिए विशेष रणनीति बनाकर वेकलाग डाटा फीडिंग कार्य तत्काल पूर्ण किया जावें।

(ए. के. सिंह)
संयुक्त आयुक्त
मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

पृ.कमांक /एम.आईएस/2007 भोपाल, दिनांक /06/2007

प्रतिलिपि:–

1. संभागीय आयुक्त , संभाग .....
4. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला ..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(ए. के. सिंह) 06/6.
संयुक्त आयुक्त
मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल

तिलहन संघ भवन, 1 अरेरा हिल्स, भापाल

क्र. 1553 /22/NREGS-MP/2007 भोपाल, दिनांक 25/ 6 /2007

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला पंचायत –बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, छतरपुर,
धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन,मंडला,
शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़
सतना, डिंडोरी, सिवनी, उमरिया दमोह, पन्ना,
कटनी, रीवा, राजगढ़, गुना, अनूपपुर, अशोकनगर,
बुरहानपुर, देवास, हरदा, छिंदवाड़ा एवं दतिया (31 जिले) म.प्र.

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अन्तर्गत जारी विभिन्न निविदाओं पर कार्यवाही विषयक।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अन्तर्गत जिला एवं जनपद पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यो के लिए पृथक–पृथक निविदाऐं जारी कर आउटसोर्स एजेंसी को अधिकृत किया गया हैं। आउटसोर्स एजेंसी को आवंटित कार्य के पारिश्रमिक का भुगतान भी संबंधित कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है।

राज्य शासन को प्राप्त सूचना अनुसार आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा क्रियान्वित कार्यो में गुणवत्ता के निर्धारित माप–दण्डों का पालन नहीं किया जा रहा है जबकि, उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया जाता है। अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि, जिला पंचायत/जनपद पंचायत (यथा स्थिति अनुसार) में प्रत्येक आउटसोर्स गतिविधि के लिए एक–एक अधिकारी को "प्रभारी अधिकारी" नामांकित किया जावे। आउटसोर्स एजेंसी को भुगतान करने के पूर्व क्रियान्वित कार्य की गुणवत्ता, अनुबंध की शर्तो का पालन, इत्यादि के संबंध में उक्त प्रभारी अधिकारी के द्वारा प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।

विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों (जैसें सामाजिक अंकेक्षण, प्रचार–प्रसार) में ही किया जा रहा हैं। अतः संबंधित सरपंच एवं सहायक विकास विस्तार अधिकारी के प्रमाणीकरण उपरान्त उक्त प्रभारी अधिकारी का सत्यापन कराना आवश्यक होगा। तद्उपरान्त आउटसोर्स एजेंसी के भुगतान की कार्यवाही की जावे।

Sd/–

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(9)

क्र. 1553ए/22/NREGS-MP/2007 भोपाल, दिनांक 25/6/2007

प्रतिलिपि :—

1. संभागीय आयुक्त, ... (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, आधारताल, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

कमांक /एम.आईएस/2007 भोपाल, दिनांक /06/2007

प्रति,

मुख्य कार्य पालन अधिकारी जिला पंचायत
एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत
जिला .....

विषयः— **NREGA software अन्तर्गत MIS से प्राप्त वर्ष 2006.07 के आकड़ों के निष्कर्षो में त्रुटियां।**

सन्दर्भ :—1.पत्र कमांक 212/22/वि—7/ग्प्ररोगा/2007 भोपाल, दिनांक 31.01.2007
3. पत्र क इएम 1209 दि. 21.02.07 पत्र क. 371 दिनांक 6.03.07
4. पत्र क. 1335 दिनांक 4.06.07

—00—

जैसा कि आपको अवगत कराया जा चुका है कि राज्य स्तर पर MIS कार्यो की प्रगति की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है।MIS कार्यो में प्रगति की समीक्षा से यह स्पष्ट हो रहा है कि सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से निर्देशों का पालन गंभीरता से नही किया जा रहा है। वेबसाइट nrega.nic.in पर पब्लिश आनलाइन डाटा के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आये है कि कई जनपदों में MIS में मस्टर रोल की फीडिंग में त्रुटियॉ की जा रही है एवं आधे अधूरे मस्टर रोल फीड किये जा रहे है।

आउट सोर्स एजेन्सी को नियुक्त किये हुए कई माह बीत जाने के बाद भी कई जनपदों पर MIS में डाटा फीडिंग की प्रगति एवं गुणवत्ता संतोषजनक नही हैं।, जिससे स्पष्ट होता है कि जनपद एवं जिले स्तर पर उचित मानिटरिंग नही की जा रही है । निर्देशानुसार ऐसी आउटसोर्स एजेन्सीयों जिनका कार्य प्रगति व डाटा फीडिगं की गुणवता ठीक नही है उनको अनुबंध समाप्ति का नोटिस देकर नयी एजेन्सीयों को नियुक्त किया जावें ।

2. एम.आईएस निविदा अनुबंध की शर्तो के अनुसार योजना व कार्य से संबंधित समस्त डाटा की फीडिंग के साथ फीड डाटा का वेलिडेशन भी किया जाना है। विगत चार माह में कई जिलों में मस्टर रोल के डाटा फीडिंग कार्य काफी गति से हुए है, परन्तु मस्टर रोल फीड करना ही पर्याप्त नही है, वास्तविक प्रगति तब ही मानी जावेगी जब कार्य सें संबंधित समस्त आकड़ें ठीक प्रकार से फीड हो।

MIS में डाटा फीडिंग ,अपलोडिंग व डाटा की गुणवत्ता आदि बिन्दुओं की समीक्षा की गई जिसके अनुसार जनपद एवं जिला पंचायत स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही की जावे : —

1. आउट सोर्स एजेंसी का भुगतान प्रोजेक्ट के आधार पर किया जावें। इस हेतु प्रत्येक कार्य को एक प्रोजेक्ट मानकर साफ्टवेयर में उससे संबंधित समस्त डाटा की पूर्ण एवं सही जानकारी फीड कराना सुनिश्चित किया जाये। इसमें उक्त प्रोजेक्ट पर लगे समस्त मजदूरों की मस्टर रोल की तथा प्रोजेक्ट में उपयोग किये गए मटेरियल खरीदी विवरण आदि की सही रुप से डाटा फीडिंग पूर्ण कराई जावें।

2. एजेन्सियों का भुगतान करने के पूर्व डाटा की वैद्यता एवं पूर्णता की स्थिति का बारीकी से सत्यापन करा लिया जावे। डाटा वेलिडेशन/सत्यापन कार्य एक माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जावें। डाटा वेलिडेशन हेतु कार्य पर मजदूरी के व्यय तथा सामग्री व्यय आदि तथा एम. आई.एस. में फीड उक्त कार्य पर मजदूरी के व्यय तथा सामग्री व्यय आदि में समानता होना चाहिए। समानता होने की स्थिति में डाटा फीडिंग को सही माना जा सकता है। असमानता होने के कारणों को चिन्हित किया जाना चाहिए तथा उक्त असमानता अगर अधूरी डाटा फीडिग अथवा त्रुटिपुर्ण डाटा फीडिग के कारण है तो फीड डाटा में तत्काल सुधार किया जावें । डाटा वेलिडेशन संलग्न चैंकलिस्ट अनुसार किया जा सकता है।

3. जिन प्राजेक्ट के एक्जिट प्रोटोकाल पूर्ण हो चुका है उनको फीडिगं में प्रथम वरियता दी जावे तथा इस प्रकार समस्त पूर्ण कार्यो की जानकारी अनिवार्य रुप से 30 जुलाई 07 तक फीड कर अपलोड कर ली जावें।

4. प्राजेक्ट के एक्जित प्रोटोकाल को एम.आई.एस. से लिंक किया जावे, तथा यह सुनिश्चित किया जावें कि उक्त प्रोजेक्ट के समस्त डाटा साफटवेयर में फीड हो तथा आनलाइन रिपोर्ट में भी वह प्रोजेक्ट पूर्ण कार्य की सूची में हो।

5. जो कार्य पूर्ण नही हुए है व लंम्बी अवधि के है जैसे वृक्षारोपाण कार्य उनका डाटा फीडिंग का भुगतान उस कार्य की अद्यतन जानकारी पूर्ण फीड करने के बाद सत्यापन उपरांत अनुपातिक रुप से भुगतान किया जावे।

6. प्रत्येक जनपद एवं जिले पर एक लिंक अधिकारी को नामित किया जावें जो उपरोक्त अनुसार एम.आई.एस की मानिटरिंग करें तथा वह एम.आई.एस की गतिविधियों के लिए पूर्णरुप से जिम्मेदार हों।

(प्रदीप भार्गव)
सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
एवं अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.कमांक /एम.आईएस/200 भोपाल, दिनांक /06/200

प्रतिलिपि:–

1. संभागीय आयुक्त , संभाग .....
2. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला ..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रदीप भार्गव)
सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
एवं अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

/22/वि–7/ग्रा.रो.यो./2007 भोपाल,दिनांक /06/2007

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त)
   जिला .....

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त)
   जिला पंचायत .....

विषय– म.प्र.ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत आउटसोर्स के माध्यम से कार्य कराने एवं इसके भुगतान बाबत।

म.प्र.ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में विभिन्न कार्य (जैसे एम.आई.एस. में पृविष्टि आदि) आउट सोर्स के माध्यम से अनुबंध के आधार पर कराये जा रहे हैं। शासन की जानकारी में आया है कि अनुबंध के माध्यम से संपादित किये जा रहे कार्य गुणवत्ता एवं अनुबंध अनुसार पूर्ण रूपेण सही रूप से संपादित नहीं किये जा रहे हैं।

निर्देशित किया जाता है कि सभी आउट सोर्स के माध्यम से कराये जा रहे कार्यों की निगरानी के लिये जिला पंचायत स्तर पर जिला पंचायत में पदस्त अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ परियोजना अधिकारी/ लेखाअधिकारी में से किसी एक को एवं जनपद पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाये। नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारी आउट सोर्स के माध्यम से कराये जा रहे कार्यों का पूर्ण रूप से निरीक्षण करेगा एवं निर्धारित अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण कराने हेतु जिम्मेदार होगा। प्रभारी अधिकारी द्वारा यह भी सत्यापित किया जायेगा कि कार्य अनुबंध अनुसार पूर्ण रूपेण सही संपादित किया गया है, इसके पश्चात ही संबंधित आउट सोर्स एजेन्सी को भुगतान किया जायेगा। आउट सोर्स के माध्यम से किये जा रहे कार्यों के संपादन हेतु जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत पर प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर इसकी सूचना संयुक्त आयुक्त, म.प्र.ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल को दिनांक 15.7.2007 तक भेजना सुनिश्चित करें।

निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल,दिनांक /06/2007

पृ. क्र. /22/वि–7/ग्रा.रो.यो./2007

प्रतिलिपि–

1. अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
2. संभागीय कमिश्नर (समस्त) संभाग.....
3. संयुक्त आयुक्त, म.प्र.ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक /1770/22/वि–7/NREGS-MP/07 भोपाल, दिनांक 9/07/2007

प्रति,

1 कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक,
3 कार्यक्रम अधिकारी,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
जिला–बड़वानी,बालाघाट,बैतूल,छतरपुर, डिण्डौरी,
धार, झाबुआ,खरगौन, खण्डवा,मंडला,सतना,सीधी
सिवनी,शहडोल,श्योपुर,शिवपुरी,टीकमगढ़ एवं उमरिया,
छिदवाड़ा,दतिया, हरदा, देवास, कटनी, पन्ना, दमोह, रीवा,
गुना, अशोकनगर,बुरहानपुर, अनूपपुर एवं राजगढ़ (मध्य प्रदेश

विषयः– NREGA SOFTWARE में योजनान्तर्गत कार्यो की प्रविष्टि के दौरान परिलक्षित त्रुटियों के निराकरण बाबत्।

सन्दर्भ विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1606/22/वि–7/2007 भोपाल, दिनांक 29.06/07/2007 एवं क्रमांक/1688/22/वि–7/NREGS-MP/07 भोपाल, दिनांक 02/07/2007.

विभाग के संदर्भित ज्ञापनों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग के माध्यम से अनुबंध के आधार पर संपादित कराये जा रहे कार्यो को अनुबंध की शर्तो के अनुरूप उत्तम गुणवत्ता, कुशलता व समय–सीमा में कराये जाने हेतु जिला एवं जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामांकित किये जाने संबंधी एवं योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों तथा लाईन डिपार्टमेन्ट्स के माध्यम से कराये जा रहे कार्यो की नस्तियां व्यवस्थित रूप से संधारित किये जाने विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। जिससे प्रत्येक कार्य की व्यवस्थित नस्ती MIS में डाटा एण्ट्री तथा अपलोडिंग हेतु आउटसोर्स एजेन्सी को उपलब्ध हो सके।

आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा NREGA SOFTWARE में MIS की प्रविष्टि के दौरान कार्य पर व्यय की गई वास्तविक राशि का MIS में Feed की गई अकुशल श्रम एवं सामग्री मद की राशि के योग से मिलान होना आवश्यक है। यदि राशि का मिलान होता है तब डाटा वेलिडेशन के लिए चैकलिस्ट हेतु प्रपत्र 'क' भरा जावे। यदि राशि का मिलान नहीं होता तब अन्तर की राशि संबंधी त्रुटि ज्ञात करने के लिए प्रपत्र 'ख' अनुसार तालिका अ–ब–स में जानकारी भरी जावे। जिससे त्रुटि दुरूस्त कर MIS की सही प्रविष्टि हो सके।

उक्त निर्देशों का पालन करते हुए दिनांक 31.08.2007 तक सभी पूर्ण कराये गये कार्यों की MIS में डाटा एण्ट्री तथा अपलोडिंग का कार्य जनपद स्तर पर नियुक्त आउटसोर्स एजेन्सी से कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः प्रपत्र क एवं ख

9.7.07

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ0क्रमांक / 1771 /22/वि–7/NREGS-MP/07 भोपाल, दिनांक 9/07/2007

प्रतिलिपि :

1. समस्त संभागायुक्त,मध्यप्रदेश
2. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल
3. श्री उवैस अहमद, SYSTEM ANALYST मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल, जिलों से नियमित रूप से साप्ताहिक जानकारी प्राप्त कर अवगत करावें।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,

क्रमांक/2246/22/वि–7/NREGS-MP/2007 भोपाल, दिनांक 6 अगस्त, 2007

प्रति,

- **कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
- **मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यकम समन्वयक,**
- **कार्यकम अधिकारी, जनपद पंचायत**

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश
जिला– बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, धार, झाबुआ, खरगौन, खण्डवा, मंडला, सतना, सीधी, सिवनी,शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, डिण्डौरी,टीकमगढ़,उमरिया,छिदवाड़ा,दतिया, हरदा, देवास,कटनी,पन्ना,दमोह,रीवा,गुना,अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर एवं राजगढ़ (मध्य प्रदेश)

विषयः– **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश के अंतर्गत संपादित कार्यों का तथा अभिलेखों का संधारण कार्य में गति लाये जाने बाबत्**

सन्दर्भः– विभाग के पत्र क्रमांक 1688/22/वि–7/NREGS-MP/07 दिनांक 02.07.2007 एवं पत्र क्रमांक 2017/22/वि–7/NREGS-MP/07 दिनांक 25.07.2007

NREGS के तहत संपादित कराये जा कार्यो का भौतिक रूप से पूर्ण कराया जाना पर्याप्त नहीं है, सभी कार्य वास्तविक रूप से तभी पूर्ण माने जावेंगे जब इनके अभिलेख व्यस्थित रूप से संधारित कराये जाकर कार्यो पर किये गये वास्तविक व्यय की प्रविष्टि offline NREGS Software में कराई जावेगी तथा कार्य के पूर्ण होने की तिथि की प्रविष्टि करा दी जावेगी।

योजनान्तर्गत संपादित कार्य की नस्ती तब व्यवस्थित मानी जावेगी जब विभाग के सन्दर्भित पत्र क्रमांक 1688 दिनांक 02.07.2007 के साथ संलग्न चेकलिस्ट के अनुसार वांछित दस्तावेज उसमें संधारित होवें। यद्यपि चेकलिस्ट में दर्शित अधिकांश बिन्दुओं की जानकारी एक्जिट प्रोटोकाल की पंजी में ग्राम पंचायत एवं जनपद स्तर पर पूर्व में संधारित की गई होगी। चेकलिस्ट के शेष बिन्दुओं में प्रमुख रूप से कार्य पर किये गये व्यय के व्हाउचर्स/देयकों को अकुशल श्रम एवं सामग्री मद के व्यय अनुसार पृथक–पृथक कर नस्ती में व्यवस्थित रूप से रखा जाना है तथा नस्ती में इंडेक्स होना चाहिए। व्यवस्थित नस्ती की एक प्रति कार्य एजेन्सी (ग्राम पंचायत/लाईन्स डिपार्टमेन्ट) एवं उसकी छायाप्रति संबंधित जनपद को MIS में प्रविष्टि हेतु उपलब्ध करायी जाना है जिससे जनपद स्तर पर नियुक्त आउटसोर्स एजेन्सी offline NREGS Software में प्रविष्टि कर सके। जिला एवं जनपद स्तर पर नामांकित नोडल अधिकारी उन्हें दिये गये दायित्व का सही तरीके से निर्वहन करें जिससे MIS प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश न रहे।

अभिलेखों के संधारण एक्जिट प्रोटोकाल, निविदाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यो हेतु एजेन्सियों का चयन करने हेतु यह समय बहुत उपयुक्त है क्योंकि वर्षाकाल होने के कारण वृक्षारोपण को छोड़कर अन्य निर्माण कार्यो का क्रियान्वयन अभी नहीं किया जा रहा है। अतः विशेष अभियान चलाया जाकर प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्त कार्य कराये जावें।

(16)

(प्रदीप शर्मा)
अपर मुख्य सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ0क्रमांक / २५५९ / 22 / वि–7 / NREGS-MP / 07

प्रतिलिपि :

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त, 2007

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
2. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जिला– बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, धार / मनावर झाबुआ क्रमांक – 1 / 2 खरगौन, खण्डवा, मंडला, सतना, सीधी, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, डिण्डौरी टीकमगढ़, उमरिया, छिंदवाड़ा, दतिया, हरदा, देवास, कटनी, पन्ना, दमोह, रीवा, गुना, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर एवं राजगढ़ (मध्य प्रदेश)
4. श्री उवैस अहमद, SYSTEM ANALYST मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

2338

क्र. /MIS/NREGS-MP/2007 भोपाल, 16 / - / 200

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
3. कार्यक्रम अधिकारी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
जिला–बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, डिण्डौरी,
धार, झाबुआ, खरगौन, खण्डवा, मंडला, सतना, सीधी,
सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़ एवं उमरिया,
छिंदवाड़ा, दतिया, हरदा, देवास, कटनी पन्ना, दमोह, रीवा,
गुना, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर एवं राजगढ़ (मध्यप्रदेश)

विषयः– NREGA के अंतर्गत होने वाले कार्यो का MIS तथा अभिलेखों का संधारण।
संदर्भः– पत्र क्रमांक 1688/22/वि–7/NREGS-MP/07 भोपाल, दिनांक 2/7/2007

संदर्भित पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था कि जिलों द्वारा पूर्ण कार्यो की कार्यवार नस्ति संधारण कर संधारित नस्ति की एक प्रति जनपद पंचायत पर एम.आई.एस. एन्ट्री हेतु उपलब्ध कराई जाए एवं पूर्ण कार्यो के समस्त डाटा एन्ट्री 31 अगस्त 07 तक अनिवार्य रूप से कराई जाय।

मुझे अवगत कराया गया है कि जिलो द्वारा निर्देशों के पालन में कार्यवार नस्तियों का संधारण प्रारंभ कर दिया गया है परन्तु पूर्ण कार्यो की एन.आर.ई.जी.एस. सॉफ्टवेयर में एन्ट्री की प्रगति संतोषजनक नहीं है एवं अभी भी केवल मस्टर [illegible] की एन्ट्री की जा रही है। NREGA वेबसाईट पर पूर्ण कार्यो व प्रगतिरत कार्यो [illegible] 557 व 62842 प्रदर्शित हो रही है जबकि मासिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार वित्तीय वर्ष 2006–07 के पूर्ण कार्यो की संख्या 82548 है कार्य की अपूर्ण एन्ट्री के कारण एम.आई.एस. के माध्यम से कार्यो की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है।

कार्य की पूर्ण एन्ट्री हेतु उस कार्य से संबंधित उपयोग हुये समस्त मस्टर रोल, कार्य पर उपयोग हुई सामग्री तथा अन्य आकस्मिक व्यय तथा कार्य पूर्ण होने की तिथि फीड किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही योजनान्तर्गत फण्डफ्लो व उपयोगिता प्रमाण–पत्र आदि की जानकारी भी फीड की जाना शेष है।

समस्त जिले यह सुनिश्चित करें की एन.आर.ई.जी.एस. सॉफ्टवेयर में अब केवल मस्टर रोल की फीडिंग नहीं की जाय अपितु संदर्भित निर्देशानुसार पूर्ण कार्यो की कार्यवार संधारित

जावक नं. 2338/39
दिनांक 16/8/07

— हस्ताक्षर

(19)

शिकायतों की सम्पूर्ण एन्ट्री एन.आर.ई.जी.एस. सॉफ्टवेयर में समय सीमा में पूर्ण कराई जाय एवं साप्ताहिक प्रगति से अवगत कराया जाय।

(प्रदीप भार्गव) 13.8.07
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र. 2339/MIS/NREGS-MP/2007 भोपाल, 16/8/200

प्रतिलिपिः–

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल
3. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जिला– बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, धार/मनावर झाबुआ क्रमांक –1/2 खरगौन, खण्डवा, मंडला, सतना, सीधी, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, डिण्डौरी टीकमगढ़ उमरिया, छिंदवाडा, दतिया, हरदा, देवास, कटनी, पन्ना, दमोह, रीवा, गुना अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर एवं राजगढ मध्यप्रदेश

उवैस अहमद सिस्टम एनालिस्ट मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल जिलो की साप्ताहिक प्रगति से अवगत कराए।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

2339

20